न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय कक्ष सं० 01, गाजीपुर

UPGH040036582016

Presented on : 13-09-2017
Registered on : 13-09-2017
Decided on : 12-08-2026
Duration : 8 years, 10 months, 29 days

राज्य-------- **बनाम**-------- पारस यादव आदि

Cri. Case/701059/2016

धारा- 504, 506 भा०दं०सं०

थाना -बिरनों, **जनपद** -गाजीपुर

दिनांक-12.08.2026

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र दिनांकित-29.07.2026 अंतर्गत धारा- 320 दं०प्र०सं० पर पूर्व में सुना जा चुका।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये उभयपक्षों द्वारा कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थीगण आपस में सुलह-समझौता कर लिये हैं और मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण पारस यादव, रामाश्रय यादव व कुमार यादव के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा-504, 506 भा०दं०सं०, धारा-320 सी.आर.पी.सी. के उपबन्ध एक के तहत शमनीय है। दौरान मुकदमा अभियुक्त रामाश्रय यादव की मृत्यु दिनांक-29.08.2020 को हो चुकी है। अभियुक्त रामाश्रय यादव की मृत्यु आख्या मय शमशान घाट रसीद पत्रावली में संलग्न है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा वाद को शमनीयता के आधार पर समाप्त किये जाने हेतु स्वयं प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षों की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया। उभय पक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 320 सी.आर.पी.सी. के तथ्यों को समझकर स्वछंद इच्छा से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अभिकथन किया गया है। प्रार्थना पत्र पर समस्त पीड़ित एवं अभियुक्तगण के फोटो चस्पा है एवं आधार कार्ड संलग्न है। उक्त सुलह समझौता प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक-07.08.2026 को तस्दीक किया जा चुका है। उक्त परिस्थिति में न्यायालय के मत में प्रस्तुत वाद धारा -320 सी.आर. पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत सुलह- समझौते के आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-320 सी.आर.पी.सी. दिनांकित- 29.07.2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र दिनांकित-29.07.2026 अंतर्गत धारा- 320 सी.आर.पी.सी. के तहत **फौजदारी वाद सं०-701059/2016 मु०अ०सं०-36/2014 राज्य बनाम पारस यादव आदि**, थाना- बिरनों, जनपद-गाजीपुर की कार्यवाही अंतर्गत धारा- 320 सी.आर.पी.सी. शमनीयता के आधार पर समाप्त की जाती है। अभियुक्तगण **पारस यादव व कुमार यादव** को धारा-320 सी. आर.पी.सी. की उपधारा 8 के तहत दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरांत नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रंजना देवी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय,
कक्ष सं०-01, गाजीपुर।
(**JO Code -UP4890)**